झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
दशम् (शीतकालीन)– सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 02 पौष, 1944 [श0] / 23 दिसम्बर, 2022 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
उत्तर संलग्न					
24.	रा–09	श्री अनन्त कुमार ओझा	सर्वे रिकोर्ड में नाम प्रकाशित करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
25.	रा–07	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	दोषी कर्मियों पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
26.	रा–11	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	दोषी अधिकारी पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
27.	स–05	श्री केदार हाजरा	चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
28.	स–06	श्री बिरंची नारायण	मेडिकल कॉलेज का निर्माण	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
29.	रा–02	श्री समीर कु0 मोहंती	भूमि समस्या का निदान	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.12.22
30.	रा–01	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	रेभन्यू ग्राम का दर्जा देना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.12.22

01	02	03	04	05	06
31.	रा–14	श्री जिग्गा सुसासन होरो	जॉच एवं दोषियों पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
32.	स–11	श्री सुदिव्य कुमार	कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.12.22
33.	स–08	श्रीमती पुष्पा देवी	चिकित्सकों की नियुक्ति करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.12.22
34.	स–13	श्री भानु प्रताप शाही	मेडिकल कॉलेज का निर्माण	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.12.22
35.	स–10	श्री नलिन सोरेन	चिकित्सकों की नियुक्ति	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	14.12.22
36.	रा0–05	श्री किशुन कु0 दास	मुआवजा का भुगतान कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.12.22
37.	रा–13	श्री अमर कु0 बाउरी	जॉच एवं मुआवजा का भुगतान	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
38.	श्रनि–03	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	कॉलेज की स्थापना	श्रम,नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	16.12.22
39.	रा–15	श्री नलिन सोरेन	जॉच एवं दोषियों पर कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
40.	रा–06	श्री सुदेश कु0 महतो	खतियान में संशोधन करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
41.	स0–04	श्री अमित कु0 मण्डल	प्रसव वार्ड का निर्माण	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
* 42.	विधि–01	सुश्री अम्बा प्रसाद	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना	विधि विभाग	13.12.22
43.	रा–08	श्री मनीष जयसवाल	विशेष कैम्प लगाना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22

क्र0पृ0उ0/–

* विधि विभाग के पत्रांक-2522, दिनांक-19/12/2022 के द्वारा प्रदत्त कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में हस्तांतरित।

01	02	03	04	05	06
44.	स–09	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	बकाया का भुगतान कराना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.12.22
45.	रा–12	श्रीमती पुष्पा देवी	रजिस्टर–2 में सुधार कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
46.	रा–03	डॉ0 लम्बोदर महतो	मुआवजा राशि का भुगतान	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.12.22
47.	रा–04	श्री अमित कु0 मण्डल	गृह स्थल पर्चा निर्गत करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	13.12.22
48.	स–01	डॉ0 इरफान अंसारी	स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
49.	स–07	श्री आलोक कुमार चौरसिया	स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं कर्मी की व्यवस्था	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.12.22
50.	स–02	श्री बिरंची नारायण	संसाधन उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
51.	स–12	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	लम्बित राशि का भुगतान	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	16.12.22
52.	श्रनि–02	श्री रामदास सोरेन	पुनः चालक में नियुक्ति	श्रम,नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	16.12.22
53.	श्रनि–04	श्री नवीन जयसवाल	भवन एवं कर्मशाला का निर्माण	श्रम,नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	16.12.22
54.	स–03	डॉ0 इरफान अंसारी	चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	13.12.22
55.	रा–10	डॉ0 सरफराज अहमद	उच्च स्तरीय जॉच कराना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.12.22
56.	श्रनि–01	श्री किशुन कु0 दास	पठन–पाठन शुरू कराना	श्रम,नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.22

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

राँची
दिनांकः–23 दिसम्बर, 2022 (ई0)।

क्र0पृ0उ0/–

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–06/2020–2405/वि0स0, राँची, दिनांकः–19/12/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/12/2022
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–06/2020–2405/वि0स0, राँची, दिनांकः–19/12/22

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/12/2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–06/2020–2405/वि0स0, राँची, दिनांकः–19/12/22

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/12/2022
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

गवाही/–

19.12.22

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–23.12..2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–09 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि साहेबबगंज का राजमहल विधानसभा क्षेत्र एक ओर बिहार तो दूसरी और पं0 बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्र में अविस्थत है, जिसे क्षेत्र के भूमिहीन के असर्वेक्षित रह जाने के कारण "सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में नाम अंकित नहीं हो पाई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा में जिन स्थानीय आमजन के पूर्वज और उनके उत्तराधिकारी 100 से अधिक वर्षों से निवास करने के प्रमाण उपलब्ध है, उन्हें भी 1932 का खतियान की माँग की जाती है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के दसतावेज निर्गत कराने में संबंधित विभाग में कठिनाईयाँ होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड–बिहार एवं झारखण्ड–प0 बंगाल के बीच हो रहे सीमा विवाद के निराकरण हेतु विभागीय पत्रांक– 570/नि0रा0, दिनांक–05.10.2017 एवं 652/नि0रा0, दिनांक–02.11.2022 द्वारा संयुक्त जाँच प्रारंभ करने का अनुरोध क्रमशः बिहार सरकार एवं प0 बंगाल सरकार से किया गया है। उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक–1062/रा0, दिनांक–19.12.2022 द्वारा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका को असर्वेक्षित भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र को सर्वेक्षित करा चुकी है तो उनके नाम सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में अंकित कर प्रकाशित करने तथा खण्ड–2 तथ्यों पर उचित निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (तारां0)–99/2022...781/रा0 राँची, दिनांक–...22-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2311/वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-12-22
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की, माननीया स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–23.12..2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–07 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती शिल्पा नेहा तिर्की, माननीया स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि बिहार से लाये सम्पूर्ण झारखण्ड का नक्शा RS/CS, MS अति सुरक्षा व्यवस्था के साथ झारखण्ड में लाकर भू–बंदोबस्त कार्यालय, राँची में रखा गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि भू–बंदोबस्त कार्यालय, राँची के कर्मियों द्वारा बिहार से झारखण्ड लाये सभी नक्शा को पेन ड्राइव में लोड कर कचहरी परिसर स्थित सभी जेरोक्स दुकान को बेच दिया गया;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खतियान लेखन कर्मी दिनांक–29 अगस्त 2022 से अपनी एक सूत्री माँग को लेकर लगातार राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे है;	बंदोबस्त कार्यालय, राँची में कार्यरत उजरत भोगी कर्मी नियमितिकरण हेतु राजभवन के समक्ष धरना पर हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नक्शा का अवैध बिक्री कर सरकारी राजस्व का नुकसान करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भू–बन्दोबस्त कार्यालय, राँची में पूरे राज्य का R.S/ C.S/ M.S/ R.R.S नक्शा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर आम जन को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (तारां0)–98/2022..777/G, राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2309/वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-12-22
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीया स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखण्ड के अंचलाधिकारी द्वारा अधिसूचित वनभूमि, थाना सं0–57, मौजा–कुण्डवा (कुरहवा), खाता सं0–19, प्लॅट सं0–391, रकबा–08 एकड़ को अवैधानिक तरीके से मनोज कुमार यादव, पिता–सुकर यादव, ग्राम–कुण्डवा, बरही, हजारीबाग को नामान्तरण कर दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल–बरही, मौजा–कुण्डवा, खाता सं0–19, प्लॉट सं0–391 का जमाबंदी पूर्व के पंजी–II के पृष्ठ सं0–136/II, दाखिल–खारिज वाद सं0–331/1973–74, विक्रय–पत्र 2523, फॉरेस्ट सेटलमेंट केस सं0–48/1960–61, वन प्रमण्डल का अनापत्ति पत्रांक–2881 तथा विक्रय–पत्र 2898, दिनांक–12.11.2018, तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, अमीन के अनुशंसा के आलोक में नामंतरण किया गया था। वर्तमान में सरकार के पत्रांक–2074, दिनांक–13.05.2016 तथा विभागीय पत्रांक–4866, दिनांक–10.12.2018 एवं पत्रांक–704, दिनांक–15.07.2020 के आलोक में प्रश्नगत जमाबंदी रद्द करने हेतु 4(h) की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही म्यूटेशन अपील वाद सं0–91/2022–23 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। पूर्व के डीड 2898, दिनांक–12.11.2018 से संबंधित तथा दायर वाद में संलिप्त लोगों के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में वाद सं0–2419/2022 दायर एवं प्रक्रियाधीन है। साथ ही न्यायालय समाहर्त्ता वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पास BPLE वाद प्रारम्भ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–6274, दिनांक–2.11.2018 द्वारा उक्त भूमि को प्रतिबंधित श्रेणी की सूची में शामिल होने की सूचना दी गई है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का नामंतरण वाद संख्या–794/27/2020–21 को रद्द कर दिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि बरही अंचल नामांतरण मुकदमा सं0–1366/R27/2020-21 आवेदन सं0–5355 के माध्यम से दिनांक–19.04.2021 को पुनः अस्वीकृत कर दिया गया था ;	स्वीकारात्मक।

5	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वनभूमि का नामांतरण दो बार अस्वीकृत होने के बावजूद अवैधानिक तरीके से नामंतरण शुद्धि–पत्र अंचल अधिकारी द्वारा केस सं0–181/R27/2021-22 दिनांक–28.08.2021 के द्वारा नामंतरण कर दिया गया, जिसमें सेल रजिस्ट्रेशन डीड–2928, दिनांक–12.11.2018 अंकित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंचल–बरही, मौजा–कुण्डवा, खाता सं0–19, प्लॉट सं0–391 का जमाबंदी पूर्व के पंजी–II के पृष्ठ सं0–136/II, दाखिल–खारिज वाद सं0–331/1973–74, विक्रय–पत्र 2523, फॉरेस्ट सेटलमेंट केस सं0–48/1960–61, वन प्रमण्डल का अनापत्ति पत्रांक–2881 तथा विक्रय–पत्र 2898, दिनांक–12.11.2018, तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, अमीन के अनुशंसा के आलोक में नामंतरण किया गया था। वर्तमान में सरकार के पत्रांक–2074, दिनांक–13.05.2016 तथा विभागीय पत्रांक–4866, दिनांक–10.12.2018 एवं पत्रांक–704, दिनांक–15.07.2020 के आलोक में प्रश्नगत जमाबंदी रद्द करने हेतु 4(h) की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही म्यूटेशन अपील वाद सं0–91/2022–23 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही के न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। पूर्व के डीड 2898, दिनांक–12.11.2018 से संबंधित तथा दायर वाद में संलिप्त लोगों के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के न्यायालय में वाद सं0–2419/2022 दायर एवं प्रक्रियाधीन है। साथ ही न्यायालय समाहर्त्ता वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पास BPLE वाद प्रारम्भ करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
6	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–4554/रा0, दिनांक–21.12.2022 के द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग को पत्र प्रेषित किया गया है। दोषी पदाधिकारी/पदाधिकारियों से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :– 5/वि0स0 हजारीबाग (तारां०)–271/2022 4563 (5)/रा0 राँची, दिनांक– 22-12-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–2313/वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मिथिलेश
22.12.2022
सरकार के अवर सचिव।

(27)

श्री केदार हाजरा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0– 05 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी चिकित्सक की पदस्थापन नही किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में निहित अस्पताल में जो प्रखण्ड मुख्यालय का एकमात्र चिकित्सा अस्पताल है में डॉक्टर के पदस्थापन नही रहने के कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी में एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिसरी से की गई है, जिनके द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में निहित अस्पताल में तीन चिकित्सक एवं एक महिला चिकित्सक का पद सृजित है परन्तु एकमात्र चिकित्सक जो किसी अन्य प्रखण्ड से कुछ समय के लिए देवरी प्रखण्ड मुख्यालय आते है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी में चिकित्सा पदाधिकारी का चार फिजिशीयन का एक, शिशु रोग विशेषज्ञ का एक एवं दन्त चिकित्सक का एक पद स्वीकृत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी में प्रतिनियुक्त एक चिकित्सक के द्वारा नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में स्वीकृत पद के अनुरूप चिकित्सक एवं समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचना के आलोक में आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों की उपलब्धता/आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी में चिकित्सक की पदस्थापन की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–19/2022 1562(3) राँची, दिनांक: 20/12/2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2175/वि0स0 दिनांक 13.12.2022 के क्रम में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–19/2022 1562(3) राँची, दिनांक: 20/12/2022

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22
सरकार के संयुक्त सचिव

28

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12..2022 को सदन से पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0–06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1.क्या यह बात सही है कि बीसीसीएल बोकारो में 500 बेड का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाने हेतु राशि देने को तैयार है ;	अस्वीकारात्मक। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है कि "बीसीसीएल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि परियोजना व्यय को आपसी सहमति से कंपनी के बजट सामर्थ्य के अनुकूल रखा जाता है तो कंपनी इस परियोजना के अनावर्ती व्यय(Fixed Expenditure) हेतु विचार पर सक्षम स्वीकृति के लिए सकारात्मक पहल करेगी। प्रस्ताव यह है कि बीसीसीएल अस्पताल निर्माण पश्चात समस्त अधोसंरचना को राज्य शासन को हस्तांतरित करेगी तथा संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) का आवर्ती व्यय (Recurring expenditure) राज्य शासन को स्वयं करना होगा।"
2.क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बोकारो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 25 एकड़ भूमि जिला प्रशासन को हस्तांतरित कर दी है, जिस पर जिला प्रशासन ने दखल–कब्जा भी प्राप्त कर लिया है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि विभाग ने पत्रांक 57(9), दिनांक–08.02.2022 द्वारा बीसीसीएल और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एक समिति गठित कर स्थानीय विधायक को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन आज तक इस समिति की कोई भी बैठक आहूत नहीं की गई, जबकि मैंने दिनांक–08.09.2022 को बैठक आहूत करवाने का लिखित आग्रह समिति के सचिव से किया है ;	स्वीकारात्मक।

642(9)
22/12/22

4.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में बोकारो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	बोकारो में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण में आने वाली लागत का आकलन करने के निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–598(9) दिनांक–28.11.2022 द्वारा वर्त्तमान में प्रभावी अनुसूचित दरों के आधार पर DPR उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक निदेशक, झा0रा0भ0नि0नि0लि0 को दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09 / विधायी / 06–16 / 2022– 642(9) स्वा0, राँची, दिनांकः– 22/12/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2215 वि0स0, दिनांक–13.12.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22

अवर सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि प्रदेश के बहुत से अंचल कार्यालयों में जमीन का रिकार्ड/खतियान न होने तथा पंजी–2 फटा होने के कारण Data Entry नहीं हो पा रहा है फलस्वरूप जमीन का दाखिल–खारिज तथा खजाना काटने का कार्य प्रभावित है,	अस्वीकारात्मक। कुछ मामलों में खतियान की अनुपलब्धता/फटे होने के कारण इनका डिजिटाईजेशन नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में दिनांक–11.06.2019 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–15 में 'अन्यान्य' के रूप में लिए गये निर्णय **"अंचलाधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कराकर पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात अभ्युक्ति दर्ज कर पंजी–II के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देंगे ताकि रैयत द्वारा ऑनलाईन लगान भुगतान किया जा सके"** के आलोक में विभागीय पत्रांक–2140/रा0, दिनांक–14.06.2019 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि संबंधित पोर्टल में विकल्प खुला न होने के कारण नई प्रविष्टियाँ भी नहीं हो रही है,	अस्वीकारात्मक। छुटे हुए पंजी–II की प्रविष्टि का विकल्प झारभूमि पोर्टल अंतर्गत उपलब्ध है। परिशोधन पोर्टल अंतर्गत रैयतों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जाँचोपरान्त पंजी–II की प्रविष्टि का कार्य अंचल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–216/नि0रा0, दिनांक–12.04.2022 द्वारा विस्तृत निदेश एवं SOP सभी उपायुक्त को निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित खण्डों की समस्या के निदान हेतु उचित पहल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / निदे0 अभि0, वि0स0 (तारां0)–78 / 2022 769/ राँची, दिनांक– 20-12-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2182, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.2022

सरकार के उप सचिव।

F:\Prem sir\ vidhan sabha Sec1 *(Vikrant)*

B (30)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–01 का उत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पाण्डू प्रखंड के कुटमू पंचायत में बरवाही, बन्दला एवं कुटमू तीनों गाँव एक ही पंचायत कुटमू में समाहित है,		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि तीनों गाँव की जनसंख्या पाँच–पाँच सौ से अधिक है,		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित तीन बड़े आबादी वाले गाँव को एक रेभन्यू ग्राम में सम्मलित होने के चलते जनता का विकास कार्य बाधित है,		अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित तीनों ग्रामों का अलग अलग रेभन्यू ग्राम का दर्जा देना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका–3 में अंकित उत्तर के आलोक में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/राज. स्था.(वि.स.)–69/2022.....7565.....(2)/रा., राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं. प्र. –2183/वि.स. राँची, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को एक–एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

सरकार के उप सचिव।

श्री जिग्गा सुसारन होरो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–14 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री जिग्गा सुसारन होरो, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकुम प्रखंडाधीन मौजा बेरमाद की खाता नं0–21, प्लॉट नं0–477, 430 रकबा 25 डिसमील का खतियानी रैयत बीजा महतो है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित रैयती भूमि का वर्त्तमान मालिक खतियानी रैयत भूमि का वर्त्तमान मालिक खतियान रैयत के वंशज संजय कच्छप है।	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित भूमि पर गैर कानूनी ढंग से खतियानी मालिक वंशज को डरा धमकाकर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है।	उपायुक्त, राँची का पत्रांक–529(i)/रा0, दिनांक–20.12.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जाँच के क्रम में प्लॉट सं0–477 एवं 430 पर निर्माण कार्य रूका हुआ है। पूछताछ पर पता चला कि इस भूमि पर पंजी–II रैयत सुखराम महतो के वंशजों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जमाबंदी पंजी–II भाग–1 पेज 73 में सुखराम महतो वल्द स्व0 लखन महतो नामांतरण वाद 23 R27/1983-84 दर्ज है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की जांच कर दोषियों को दंडित करने तथा वास्तविक रैयत के साथ न्याय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–4555/रा0, दिनांक–21.12.2022 द्वारा उपायुक्त, राँची को उक्त मामले की गहन जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0– (तारां0)–393/2022..4571/रा0, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2335/वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(32)

श्री सुदिव्य कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–11 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह प्रखण्ड में यूनानी मेडिकल कॉलेज का भवन वर्षो से बन कर बेकार पड़ा हुआ है;	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गिरिडीह के भवन को अधिग्रहित किया जा चुका है। संस्थान के संचालन हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त भवन में अबतक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह प्रखण्ड में यूनानी मेडिकल कॉलेज में वित्तीय वर्ष 2022–23 में पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नात्तकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2022 में निर्धारित मानकों के आलोक में संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–20/आयुष वि0स0–20/2022 319 (20) स्वा/राँची, दिनांक 22.12.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2332/वि0स0 दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में 120 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.2022

सरकार के अवर सचिव।

(33)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0– 08 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि डाल्टेनगंज जिलान्तर्गत छतरपुर–पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत छतरपुर, पाटन, पड़वा एवं नौडिहाबाजार प्रखण्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी डॉक्टर स्थायी रूप से पदस्थापित नही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। छतरपुर–पाटन विधान सभा अंतर्गत अनुमण्डलीय अस्पताल, छतरपुर में चिकित्सा पदाधिकारी के 05 स्वीकृत पद के विरूद्ध 03 चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौडिहाबाजार में चिकित्सा पदाधिकारी के 02 स्वीकृत पद के विरूद्ध 01 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनातु के चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। पड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन के अंतर्गत आता है। पाटन में उपलब्ध चिकित्सकों के द्वारा आम जनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों के मात्र पाटन प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिनियोजन (प्रभार) में कार्यरत चिकित्सक द्वारा ईलाज चल रहा है, जिससे आम–जनता को काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित प्रखण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थायी रूप से पद पर चिकित्सों की नियुक्ति कर आम जनता (रोगीयों) का ईलाज का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचना के आलोक में आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों की उपलब्धता/आवश्यकता के अनुसार वर्णित प्रखण्डों में चिकित्सक की पदस्थापन की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–20/2022 1566(3) राँची, दिनांक: 21/12/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2305/वि0स0 दिनांक 16.12.2022 के क्रम में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–20/2022 1566(3) राँची, दिनांक: 21/12/22

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

(34)

श्री भानु प्रताप भाही, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12..2022 को सदन से पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0–13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1.क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा 10 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु अनुमति मिली है ;	अस्वीकारात्मक।
2.क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के जिला गढ़वा के प्रखण्ड भवनाथपुर अन्तर्गत ग्राम झगड़ाखांड़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है, जहाँ इसके निर्माण से लगभग 50 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकेगा ;	जिला गढ़वा के प्रखण्ड भवनाथपुर अन्तर्गत ग्राम झगड़ाखांड़ की दूरी जिला मुख्यालय अवस्थित सदर अस्पताल, गढ़वा से लगभग 75 कि0मी0 है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थल पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वर्त्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09/विधायी/06–19/2022– 646(9) स्वा0, राँची, दिनांक:– 22.12.22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2331 वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22
अवर सचिव।

35

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–स–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारिपाड़ा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखण्डों में शिकारीपाड़ा, काठीकुण्ड एवं आसनबनी प्रखण्ड रानेश्वर में CHC का निर्माण कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण चिकित्सकों कर्मियों, दवाओं के आभाव के कारण बीमार लोगों का ईलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है ;	अस्वीकारात्मक। शिकारीपाड़ा में एक (01) चिकित्सा पदाधिकारी एवं चौंतीस (34) ए0एन0एम0, काठीकुण्ड में दो (02) चिकित्सा पदाधिकारी एवं सोलह (16) ए0एन0एम0 एवं आसनबनी प्रखण्ड रानेश्वर में दो (02) चिकित्सा पदाधिकारी एवं उनतीस (29) ए0एन0एम0 कार्यरत है। शिकारीपाड़ा, काठीकुण्ड एवं आसनबनी प्रखण्ड रानेश्वर में दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त तीनों प्रखण्डों के CHC सृजित पद के अनुरूप नियुक्ति व दवा आदि की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शिकारीपाड़ा में चिकित्सा पदाधिकारी के पाँच (05) पद एवं ए0एन0एम0 के अडतीस (38) पद, काठीकुण्ड में चिकित्सा पदाधिकारी के पाँच (05) पद एवं ए0एन0एम0 के उन्नीस (19) पद एवं आसनबनी प्रखण्ड रानेश्वर में चिकित्सा पदाधिकारी के चार (04) पद एवं ए0एन0एम0 के तैंतीस (33) पद स्वीकृत है। वर्त्तमान में तीनों प्रखण्डों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पारा मेडिकल कर्मियों के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0–15/वि0स0–07–56/2022 – 579(15) राँची, दिनांक– 21-12-2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2307 वि0स0, दिनांक 16.12.2022 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.2022

सरकार के अपर सचिव

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–05 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री किशुर कुमार दास, माननीय स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
1	क्या यह बात सही है कि एनटीपीसी के द्वारा बड़कागाँव में पकरी बरवाडीह कोल परियोजना से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर रैयतों को रैयती भूमि का भुगतान किया गया है परन्तु 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद अबतक वहाँ के रैयतों को बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि का सत्यापन के उपरांत भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा टण्डवा एवं बड़कागाँव की दूरी एभरेज डिसटेंस (10 कि०मी०) है एवं दोनों परियोजना एक ही कमिशनरी (उत्तरी छोटानागपुर) में है। एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा टण्डवा के द्वारा रैयती एवं गैरमजरूआ खास भूमि के मुआवजा का भुगतान समान रूप से (पन्द्रह लाख प्रति एकड़) किया जा चुका है। परन्तु बड़कागाँव पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के रैयतों का भुगतान अब तक लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा का भुगतान 20.00 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा टण्डवा के अनुरूप बड़कागाँव में पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के रैयतों का समतुल्य मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती हैं, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए०/भू०अ०नि०, (वि०स०)तारां०–219/2022...937.../नि.रा., दिनांक–21-12-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–2217, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 180 (SOHAN)

(37)

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत् भूमि अधिग्रहण के तहत् गुमला जिला के डाड़हा के पंचाट सं0–02, खाता सं0–01, प्लॉट सं0–906 कुल रकवा–1.11 भूमि के अधिग्रहण किया जाना है,	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक–487/भू0अ0 गुमला 19.09.2022, मुकदमा सं0–11/2018–19 (डाड़हा) के तहत् विभिन्न व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस जारी किया गया है,	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि नोटिस प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा निर्देशानुसार सभी व्यक्तियों द्वारा दिनांक–13.10.2022 को ही आपसी समझौता पत्र एवं सभी आवश्यक कागजात समर्पित करने के बावजूद भू–अर्जन पदाधिकारी के द्वारा मुआवजा भुगतान में अनावश्यक बिलंब कर विकास कार्य को अवरूद्ध किया जा रहा है,	अस्वीकारात्मक। प्रश्नगत मामले में दिनांक–17.08.2022 को आवेदक मो0 नासेह सगीर के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारिज फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराने के कारण जाँच का अनुरोध किया गया है। तदालोक में उपायुक्त कार्यालय, गुमला के पत्रांक–917(ii)/रा0, दिनांक–21.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सिसई को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, सिसई द्वारा विविध वाद सं0–08/2022–23 के माध्यम से कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। वाद की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–22.12.2022 निर्धारित है। प्रश्नगत भूमि को लेकर पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 एवं 147 के तहत कार्यवाही की गई है। साथ ही, वर्त्तमान में धारा–144 के तहत कार्यवाही पूर्ण किया गया है, जबकि धारा–107 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। अतः प्रश्नगत भूमि से संबंधित पूरा प्रकरण विवादित है। विभागीय पत्रांक–828/नि0रा0, दिनांक–24.11.2016 के अनुसार विवादित भुगतान विषय का निर्णय न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा किया जाना है। अतः उपायुक्त, गुमला द्वारा न्यायिक आयुक्त, राँची को प्रस्ताव संप्रेषण की कार्रवाई की जा रही है।

4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनावश्यक बिलंब करने वाले जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला पर कार्रवाई इनके क्रियाकलापों की उच्चस्तरीय जाँच एवं अधिग्रहित भूमि के भू–स्वामियों को मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–02 बी0 / भू0अ0नि0(वि0स0) तारा–67 / 2022 942/वि0 राँची, दिनांक– 22-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2334 / वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Naina Mam/QA (Aman)

(38)

1957
21/12/2022

श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–श्रनि–03 की उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला का निरसा विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन् एवं घनी आबादी का क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि निरसा विधान सभा क्षेत्र में महिला ।T। कॉलेज की स्थापना अब तक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि महिला ।T। कॉलेज नहीं होने के कारण छात्राएँ कौशल विकास का प्रशिक्षण नहीं ले पाती है;	**अस्वीकारात्मक।** धनबाद जिला अंतर्गत संचालित सरकारी आई0टी0आई0 /निजी आई0टी0आई0 में महिलाएँ भी सामान रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, धनबाद में निर्मित है जिसे TSP (Training Service Provider) के माध्यम से संचालित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	क्या यह बात सही है कि महिला ।T। कॉलेज नहीं होने के कारण पिछड़े वर्ग की मेधावी छात्राओं को रोजगार से वंचित होना पड़ता है।	**अस्वीकारात्मक।** क्रमांक–03 में उल्लेखित आई0टी0आई0 में महिलाएँ प्रशिक्षण पाकर रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिलाओं/छात्राओं के हित में निरसा में महिला ।T। कॉलेज की स्थापना चालू वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में कंडिका–3 के उत्तर सामग्री के अंतर्गत निरसा में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कोई कार्रवाई प्रक्रिया में नहीं है।

21/12/22
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–88/2022श्र0नि0–1957 राँची, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक–2339, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/22
सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2022-23\05-88-22 T.docx

श्री नलिन सोरेन, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर
	श्री नलिन सोरेन, मा0 स.वि.स.	मा0 प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के सदर अंचल, हजारीबाग अन्तर्गत ग्राम–कैन्टोनमेन्ट, खाता संख्या–68, प्लॉट संख्या–366 एवं 367 कुल रकबा 0.52 डी0 भूमि मूल खतियानी रैयत दुखन दुसाध वल्द धनी वो फूलचंद वल्द लेदा कौम दुसाध के नाम से खतियान में दर्ज है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त भूमि पर बने मकान में झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट एरिगेशन कॉरपोरेशन लि0 (झालको) का कार्यालय वर्ष 1974 से चल रहा है तथा झालको द्वारा कार्यालय भाड़ा का भुगतान भी 1974 से अब तक श्री अनिल कुमार सिन्हा व सुनिल सिन्हा को किया जा रहा है,	वर्ष 1974 से 2001 तक बिहार हिल एरिया लिफ्ट एरिगेशन कॉरपोरेशन लि0 (भालको) कार्यालय उक्त स्थल पर संचालित था तथा झारखण्ड राज्य गठन उपरांत झालको कार्यालय वर्ष 2002 से सितम्बर, 2021 तक संचालित था। झालको द्वारा कार्यालय भाड़ा का भुगतान श्री संजय कुमार को किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खास महाल पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–1029 दिनांक–08.08.1983 द्वारा उपरोक्त भूमि खासमहाल द्वारा पुनर्ग्रहित भूमि है तथा उक्त भूमि पर बने मकान में स्थित झालको द्वारा अबतक कितना किराया भुगतान श्री अनिल कुमार सिनहा व श्री सुनिल कुमार सिन्हा को किया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। झालको द्वारा अब तक प्राप्त अभिलेख के अनुसार अंतिम तीन भुगतान श्री संजय कुमार के नाम से दिनांक–05.09.2017 को 84000/– रूपये दिनांक–06.09.2018 को 101000/– रूपये एवं दिनांक–17.10.2019 को 90000/– रूपये किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खास महाल भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाकर किराये पर झालको को देने की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तथा झालको द्वारा भुगतान किए किराए मद की राशि वसुलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–408 दिनांक–21.12.2022 के आलोक में उक्त मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–07 / खा0म0 विधान सभा–01 / 2022 (एम) 4570/ रा., राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 2336 / वि.स., दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

सरकार के उप सचिव।

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–06 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि रांची जिले के सिल्ली तथा अनगड़ा प्रखण्ड में बेदिया उपाधिधारी जनजाति की बड़ी आबादी निवास करती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इनके खतियान में त्रुटि के कारण जाति प्रमाण–पत्र अथवा जनजातियों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि इनके खतियान में संशोधन की कार्रवाई बंदोबस्त कार्यालय, राँची में वर्षो से लम्बित है;	राँची जिला अंतर्गत सिल्ली एवं अनगड़ा का द्वितीय रिवीजनल सर्वे का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। कौम मांझी उपाधिकारी बेदिया जाति के रैयतों द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, राँची में कौम सुधार हेतु कुल 610 वाद दायर किया गया था जिसका धारा–89 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए वादों का निष्पादन किया जा चुका है। सभी वादों में पारित आदेश में भूल सुधार कर कौम मांझी के स्थान पर बेदिया दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान में सिल्ली प्रखण्ड के अभिलेखों का जाँच कार्य किया जा रहा है। उपलब्ध कार्यबल के द्वारा सर्वे का अंतिम प्रकाशन नियमानुसार किया जा रहा है।
4	क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) के ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0 (तारां0)–36/2021–449, दिनांक–07.09.2021 द्वारा विधान सभा में सर्वे का अंतिम प्रकाशन शीघ्र कर देने का आश्वासन दिया गया था;	सर्वे एक चरणवार लम्बी प्रक्रिया है, कर्मियों की प्राप्त उपलब्धता के आधार पर सर्वे का अंतिम प्रकाशन शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक निश्चित समय सीमा के अंदर खतियान में संशोधन कर प्रकाशित करने की इच्छा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–03 एवं 04 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02 / भू0अ0प0नि0, वि0स0 (तारां0)–97 / 2022...776/G.a राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2308 / वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-12-22

सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

(41)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–04 से सम्बंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड पथरगामा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव भवन की कमी के कारण आये दिन जच्चा–बच्चा को नीचे जमीन पर सुलाया जाता रहा है?	अस्वीकारात्मक। गोड्डा जिला के प्रखण्ड पथरगामा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरगामा संचालित है। संस्थान में अत्यधिक संख्या में प्रसुति माताओं के आने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि 15वें वित्त से बसंतराय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण हेतु प्रकाशित निविदा को स्थगित कर दिया गया हैं?	अस्वीकारात्मक। 15वें वित्त आयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु कोई निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–दो की जगह खण्ड–एक में वर्णित प्रसव वार्ड (भवन) का निर्माण 15वें वित्त से कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में प्रसव वार्ड (भवन) के निर्माण के संबंध में 15वें वित्त आयोग में कोई प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0(ता0)– 53/2022–1294(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 22/12/2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2176/वि0स0, दिनांक 13.12.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22.
अवर सचिव

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य भर के न्यायालय में आधे से अधिक वीडियों कॉन्फ्रसिंग सिस्टम खराब तथा अत्यधिक न्यायालयों में विडियों कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम की सुविधा भी नहीं है कारणवश माननीय न्यायाधीशों को केस निष्पादन हेतु अन्यत्र वीडियों कॉन्फ्रसिंग रूम में जाना होता है जिससे न्यायापालिका का काम बाधित होता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक विभिन्न काराओं से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बंदियों के उपस्थापन हेतु अधिकतर काराओं एवं संबंधित व्यवहार न्यायालयों में विडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम अधिष्ठापित है एवं क्रियाशील है।
2	क्या यह बात सही है कि लोक अभियोजक की कमी के कारण जल्द न्याय की उम्मीद लगाए मुवक्किलो को सिर्फ तिथि दर तिथि ही प्राप्त होती रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक झारखण्ड अभियोजन सेवा के कुल स्वीकृत 500 पदों में 104 पद कार्यरत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी न्यायालयों को वीडियों कॉन्फ्रसिंग सिस्टम से परिपूर्ण करने, पर्याप्त लोक अभियोजक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिन काराओं / संबंधित व्यवहार न्यायालयों में बंदियों के उपस्थापन हेतु विडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम अधिष्ठापित नहीं है अथवा पूर्व से अधिष्ठापित सिस्टम को Upgrade किये जाने की आवश्यकता है, वहाँ विडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम के अधिष्ठापन हेतु कारा निरीक्षणालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–04 / वि०स०–(ता०)–106 / 2022–6318 / राँची, दिनांक– 20/12/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2184, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

(43)

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में नेट कनेक्टिविटी की समस्या में ई–कोर्ट में दाखिल–खारिज, दखल कब्जा, मापी सहित जमीन से सम्बंधित कई तरह के लगभग 74 हजार मामले लम्बित है जिसमें हजारीबाग में 6003, रामगढ़ में 2182, गिरिडीह में 1902, देवघर में 5197, राँची में 20598 सहित कई जिलें के संबंधित मामले है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नेट कनेक्टिविटी की समस्या होने पर JAP-IT एवं सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स विभाग से संपर्क स्थापित कर इसे दूर किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मामले की सरकार द्वारा अंचल कार्यालयों के साथ–साथ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता और अपर समाहर्त्ता या उपायुक्त कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था होने के बावजूद रैयतों को सम्बंधित अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है;	अस्वीकारात्मक। राजस्व न्यायालय में दाखिल–खारिज अपीलवाद एवं अन्य मामले की नियमित सुनवाई हो रही है तथा ससमय आदेश पारित हो रहे हैं। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–637/नि0रा0, दिनांक–30.11.2021 द्वारा विभिन्न राजस्व न्यायालयों (प्रमण्डलीय आयुक्त, उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता) के संचालन का कार्यदिवस निर्धारित करते हुए नियमित रूप से कोर्ट का संचालन कराने का निदेश सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित मामले का समाधान अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में विशेष कैम्प लगाकर करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आम नागरिकों द्वारा दायर विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राजस्व वादों को ऑनलाईन दायर किया जा सके तथा इसका निष्पादन पारदर्शितापूर्वक ससमय हो सके इसके लिए RCMS (Revenue Case Monitoring System) को Jharbhoomi Portal अन्तर्गत क्रियाशील किया गया है। RCMS अन्तर्गत सभी राजस्व न्यायालयों को ऑनलाईन कर दिया गया है जिसके तहत Cause List, Notice एवं आदेश पारित करने की व्यवस्था भी ऑनलाईन है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे0 अभि0, वि0स0 (तारां0)–80/2022 778/भू.प. राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2310, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-12-22

सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)

(44)

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 स0–09 का उतर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उतर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सहिया, सहिया साथी, वी0टी0टी0एस0टी0टी0 कार्यरत है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ, बकाया कोविड इन्सेंटीव का भुगतान, अनुभव भता इ0पी0एफ0 की कटौती आदि से वंचित है;	अस्वीकारात्मक। सहिया – ग्राम सभा द्वारा चयनित स्वैच्छिक स्वास्थ कार्यकर्ता है उन्हें कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। सामुदायिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत परिवार के आश्रितों को रू0 2.00 लाख(दो लाख) तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। बीटीटी/एसटीटी स्वेच्छिक साधन सेवी हैं जो कार्य/दिवस आधारित मानदेय द्वारा सहिया को प्रशिक्षण देते हैं एवं एनएचएम के सहयोगी संरचना अंतर्गत कार्यरत स्वैच्छिक साधन सेवी है इन्हें NHM अंतर्गत सहिया सहायता निधि से मृत्यु होने पर 75000/– तथा अपंगता की स्थिति में 50000/– से 75000/– राशि का आर्थिक सहयोग किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि अल्प मानदेय पर कार्यरत उपरोक्त कर्मी महंगाई से त्रस्त है, तथा पारिवारीक दायित्वों के निर्वहन में घोर आर्थिक कष्ट झेल रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। सहिया को कार्याधारित प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है तथा सहिया साथी, BTT, STT को प्रति माह 24 दिन का प्रति कार्य दिवस कमशः–328/–, 600/–, 800/– मानदेय की राशि भुगतेय है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त कमियों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, बकाया कोविड इन्सेटीव का भुगतान, अनुभव भता इ0पी0एफ0 की कटौती का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	विषयान्तर्गत वर्त्तमान में भारत सरकार स्तर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक सं0 : 21/वि0स0–06–28/2022 255(21) राँची दिनांकः– 22/12/2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–2306/वि0 स0 दिनांक 16.12.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22

सरकार के उप सचिव।

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती पुष्पा देवी, माननीया स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के प्रायः सभी जिले में भूमि से संबंधित मामले लंबित है खासकर पलामू, गढ़वा, हजारीबाग एवं चतरा में खतियान, खेवट में जमीन मालिक का नाम दर्ज है एवं रजिस्टर–2 में किसी और के नाम से ऑनलाईन जमीन का रसीद राजस्व कर्मचारी के द्वारा काट दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। खतियानी भूमि के बिक्री नहीं होने की स्थिति में खतियानी रैयत के नाम से अथवा खतियानी रैयत के वंशज द्वारा उत्तराधिकारी नामान्तरण कराने की स्थिति में उनके नाम से लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है। बिक्री/वैध हस्तान्तरण होने की स्थिति में क्रेता के नाम से लगान रसीद निर्गत किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि राजस्व कर्मचारी एवं जमीन माफिया के मिलीभगत कि वजह से आये दिन दो पक्षों में विवाद, मारपीट एवं हत्याएँ हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य स्तर पर एक आदेश जारी कर राज्य के सभी अंचलों में अंचल अधिकारी को कैम्प लगाकर जमीन विवाद से संबंधित मामले में खेवट–खतियान–रजिस्टर–2 में सुधार करने एवं दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। पंजी–II में सुधार तथा छुटे हुए पंजी–II की प्रविष्टि का विकल्प झारभूमि पोर्टल अंतर्गत उपलब्ध है। परिशोधन पोर्टल अंतर्गत रैयतों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जाँचोपरान्त पंजी–II की प्रविष्टि का कार्य अंचल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–216/नि0रा0, दिनांक–12.04.2022 द्वारा विस्तृत निदेश एवं SOP सभी उपायुक्त को निर्गत है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे0 अभि0, वि0स0 (तारां0)–79/2022 780/(भू) राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2314, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-12-22
सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)

श्री लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–03 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के बोकारो जिलान्तर्गत जिला भू–अर्जन कार्यालय, बोकारो के द्वारा गोमिया विधान सभा क्षेत्र के कई सड़कों का रैयतों के भू–अर्जन का करोड़ों रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है, जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बोकारो जिलान्तर्गत बहादुरपुर–कसमार–खैराचातर–बंगाल सीमा पथ (पेटरवार–कसमार लिंक सहित), कुल–25 मौजा में भूमि अर्जन हेतु प्राप्त राशि में से संशोधित पंचाटित राशि–10,21,38,550/– रूपये मात्र का भुगतान रैयतों को किया जाना है, जिसमें से अबतक 1,57,36,547/– रूपये मात्र का भुगतान लंबित रैयतों को किया गया है तथा शेष राशि की भुगतान हेतु कई बार कैम्प का आयोजन किया गया है। रैयतों में बँटवारा–सह–आपसी सहमति नहीं बन पाने एवं मुआवजा राशि को कम मानते हुए रैयतों द्वारा मुआवजा प्राप्ति हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। संबंधित अंचल अधिकारी से भी भूमि अर्जन से प्रभावित हितबद्ध रैयतों के दखल–कब्जा/जमाबंदी से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी है। साथ ही दावा प्राप्त करने हेतु पुनः कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। रैयतों में विवाद समाप्त होते ही शेष राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि अभी भी पथ निमार्ण विभाग SHAJ तथा NHAI की कई पथों के रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। SHAJ द्वारा बरलंगा से कसमार भाया नेमरा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल–14 मौजा में भूमि अर्जन हेतु अधियाचना प्राप्त है। SHAJ द्वारा दिनांक–21.10.2022 को 08 मौजा का प्राक्कलित राशि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त 08 मौजा में धारा–19 का प्रकाशन किया गया है। धारा–21 की कार्रवाई की जा रही है। शेष 06 मौजा में से 05 मौजा में धारा–11 प्रकाशित हो चुका है, दर निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है। 01 मौजा में संरेखन पर विवाद है, विवाद निवारण की कार्रवाई की जा रही है। वर्त्तमान में भारतमाला परियोजना फेज–01 अंतर्गत 08 मौजा में 3G अनुमोदित हो चुका है, जिसमें अद्यतन 11,91,97,579/– रूपये मात्र का मुआवजा भुगतान किया गया है। शेष भुगतान प्रक्रियाधीन है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिले में व्यवहृत करोड़ो रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान करना चाहती हैं, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए०/भू०अ०नि०, (वि०स०)तारां०–220/2022 940 /नि.रा., दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2181, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 183 (SOHAN)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड–पथरगामा, पंचायत–विशहा, ग्राम–लैया टोला, प्रखंड–गोड्डा, पंचायत–रूपयामा रेलवे स्टेशन के सामने चैक डैम के पास एवं गोड्डा नगर क्षेत्र के लोहिया नगर के कदरसी टोला में कई परिवार जो अनुसूचित जाति के है, भूमिहीन है, वर्षो से अस्थायी रूप से परिवार के साथ निवास कर रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखण्ड पथरगामा अन्तर्गत बिसाहा लैया टोला में अनुसूचित जाति के 06 परिवार निवास करते हैं उनमें से एक परिवार के पास पाँच कट्ठा निजी जमीन है, बाकी परिवार के पास भूमि उपलब्ध नहीं है। ये लोग दूसरे के रैयती जमीन पर आपसी सहमति से घर बना कर बसोवास कर रहे हैं। गोड्डा प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत–रूपयामा रेलवे स्टेशन के सामने चैक डेम के पास एवं गोड्डा नगर क्षेत्र के लोहिया नगर के कदरसी टोला में कई परिवार जो अनुसूचित जाति के है। ये लोग गोड्डा जिला अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र के है, जो भूमिहीन नहीं है। समय–समय पर अतिक्रमण मुक्त कराया जाता रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–एक में वर्णित ऐसे परिवारों को चिन्हित् कर गृह स्थल (वासगीत) पर्चा निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती करने संबंधी विभागीय संकल्प सं0–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 में नीति निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स0भू0 वि0स0 (तारां0)–269/2022 4593 (5)/रा0 राँची, दिनांक– 22-12-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–2180/वि0स0, दिनांक–13.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.2022
सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 इरफान अंसारी मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–01 से सम्बधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत जामताड़ा प्रखण्ड के ग्राम गोरोईनाला (शहरडाल) मोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है, जिसके कारण लोगों को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।	स्वीकारात्मक। जामताड़ा जिलान्तर्गत जामताड़ा प्रखण्ड के ग्राम गोराई नाला (शहरडाल) मोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है, ग्राम गोराईनाला शहरडाल पंचायत अंतर्गत है। वर्तमान में गोराईनाला में कोई स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है। गोराईनाला से स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी (लगभग) निम्न प्रकार है– क) Health & wellness Centre, जियाजोरी– 02कि0मी0 ख) Health & wellness Centre, शहरडाल– 03कि0 मी0 ग) स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पियालसोला– 04कि0मी0 घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहिजाम– 06कि0मी0 ड़) सदर अस्पताल, जामताड़ा– 15कि0मी0 गोराईनाला अंतर्गत ग्रामीण हेतु उपरोक्त केन्द्रो में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध है।
2	क्या यह बात सही है कि आबादी एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अविलम्ब स्थापित किया जाना आवश्यक है।	गोराईनाला ग्राम की आबादी लगभग 1310 है। गोराईनाला ग्राम के परिधि में अवस्थित पंचायतों का आबादी निम्न प्रकार है:– क) जियाजोरी–2911 ख) शहरडाल–2532 ग) बोदमा–1438 घ) पियालसोला–3256 ड़) चन्द्रदीपा–2102 च) बड़जोड़ा–2048 कुल –14323 उल्लेखनीय है कि IPHS मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना हेतु सामान्य क्षेत्र हेतु 1,20,000 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु 80,000 जनसंख्या निर्धारित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	शहरडाल पंचायत अंतर्गत गोराईनाला ग्राम की जनसंख्या मात्र 1310 है। IPHS मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु सामान्य क्षेत्र हेतु 1,20,000 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु 80,000 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। इस प्रकार गोराईनाला ग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु न्यूनतम निर्धारित मानक को पूरा नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0(ता0)– 54/2022–1284(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 20.12.2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2179/वि0स0, दिनांक 13.12.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.2022

अवर सचिव

(49)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–07 से सम्बधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर भण्डरिया सतबरवा डालटनगंज विधान निर्वाचन क्षेत्र में आता है:	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नव–सृजित प्रखण्ड–बड़गड़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तथा यहाँ पर एक भी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने के कारण लोगों को स्वास्थ्य सेवा हेतु गढ़वा या मेदिनीनगर आना पड़ता है तथा तत्काल उपचार हेतु नजदीक के अस्पताल भण्डरिया जाना पड़ता है.	गढ़वा जिलान्तर्गत नवसृजित प्रखण्ड बड़गड़ मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जहाँ पर चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, तीन ए0एन0एम0 एक ए0पी0डब्लू0 पदस्थापित एवं नियमित रूप से कार्यरत है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के आबादी को सूचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
3	क्या बात सही है कि इन अस्पतालों में विलम्ब से पहुंचने के कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नव–सृजित प्रखण्ड बड़गड़ में शीघ्र सरकारी स्वास्थय उपकेन्द्र तथा डाक्टर/नर्स टेक्नीशियन स्टाफ की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5/पी0वि0स0(ता0)– 55/2022– 1293(5) स्वा0, राँची, दिनांकः 22/12/22

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2304/वि0स0, दिनांक 16.12.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22

अवर सचिव

50

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या- स0-02का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बोकरो सदर अस्पताल के पीछे नया नर्सिंग कॉलेज/इंस्टिट्युट की बिल्डिंग बन कर तैयार है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कंडिका-1 में वर्णित नर्सिंग कालेज/इंस्टिटयुट में अब तक आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था नहीं हुई है, और न ही इसमें स्वीकृत मानव-संसाधन ही उपलब्ध करवाया गया है, जिससे यह नर्सिंग कॉलेज/इंस्टिट्युट अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपयुर्क्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष से उक्त नर्सिंग कॉलेज/इंस्टिट्यूट को सभी संसाधनों की उपलब्धता के साथ प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	मामला विभाग के संज्ञान में आने पर नियमानुसार संस्थान चालू करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0-10/क्यू-01-04/2022 433 (10) राँची, दिनांक- 22.12.22

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-2178 वि0स0, दिनांक 13.12.2022 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Chandan 22/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

(5)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-23.12.2022 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-स0-12 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि डॉ0(श्रीमती) अनुभा विद्यार्थी, सेवानिवृत प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विभाग रिम्स, राँची को सेवा निवृति के 1.5 वर्ष के पश्चात भी देय गैर व्यवसायिक भत्ता एक महीने के वेतन के समतुल्य कोराना काल में प्रदत्त सेवा अवधि हेतु वेतन राशि सेवा काल में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत किये गये मरीजों के उपचार एवं शल्य चिकित्सा के क्रम में प्रदत्त राशि से समानुपातिक राशि तथा सेवानिवृति के पश्चात् अनुमान्य स्थानांतरण भत्ता एवं एक महीने का अनुमान्य वेतन अनुदान का भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है;	1. डॉ0 अनुभा विद्यार्थी सेवानिवृत प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, रिम्स, राँची का गैर-व्यवसायिक भत्ता का भुगतान से संबंधित शपथ पत्र रिम्स कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होने तथा उक्त मद में आवंटन के अभाव में गैर-व्यवसायिक भत्ता का भुगतान नहीं किया जा सका है। आवंटन प्रस्ताव अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। बजट स्वीकृति के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। 2. विभागीय संकल्प सं0-54(7) दिनांक 01.05.2021 के आलोक में कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों को अप्रेल 2020 के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। द्वितीय लहर में कार्य करने वाले कर्मी उक्त संकल्प से आच्छादित नहीं हैं। कोविड-19 के द्वितीय लहर के दौरान कार्य करने वाले चिकित्सकों / कर्मियो / स्नातकोत्तर छात्रों को प्रोत्साहन राशि भुगतान के संबंध में रिम्स, राँची के कार्यालय पत्रांक 5127 दिनांक 03.11.2021 एवं 2281 दिनांक 20.05.2022 द्वारा स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया था। विभागीय पत्रांक 163(11) दिनांक 21.06.2022 द्वारा कोविड-19 के द्वितीय लहर के दौरान कम से कम 6 माह कार्य करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश रिम्स को दिया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। 3. रिम्स, राँची में कार्यरत चिकित्सकों को National Health Agency के Guideline के अनुसार दावा का 2.5 प्रतिशत कर्मियों एवं इलाज करने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है, लेकिन शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधी दायित्वों पर प्रभाव को ध्यान रखकर AIIMS, New Delhi और अन्य समान शीर्ष संस्थाओं के तर्ज पर यहाँ भी अभी तक राशि नहीं दी जा रही है। फिर भी इस हेतु रिम्स राँची के कार्यकारणी

357(11)
22.12.2022

		समिति की 15वीं (असाधारण) बैठक दिनांक 18.07.2022 की कार्यवाही के कंडिका 7 में लिए गए निर्णयानुसार एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा उपाधीक्षक एवं चिकित्सा पदाधिकारी (भण्डार) सम्मिलित है। उक्त समिति चिकित्सा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आनेवाले विभागों का आकलन करेंगे कि किस-किस विभाग को इसका लाभ दिया जाए तथा आयुष्मान भारत योजना का इस शैक्षणिक संस्थान पर पड़ने वाले असर एवं इसके लाभ एवं हानि का आकलन कर प्रतिवेदन देगी। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर रिम्स द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। 4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 737/वि0 दिनांक-27.03.2018 के कंडिका 5 (VII) के अनुसार स्थानान्तरण अनुदान के भुगतान का प्रावधान है। उक्त संकल्प के कंडिका 5 (VII) (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित सेवानिवृत कर्मी द्वारा सेवानिवृति की तिथि से छः माह के अन्दर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रावधान के आलोक में डॉ0 विद्यार्थी द्वारा स्थानान्तरण अनुदान का दावा समर्पित नहीं किया गया है। डॉ0 विद्यार्थी दिनांक 31.03.2021 को वाद्यर्क्य सेवानिवृत हुई हैं। इनकी सेवानिवृति छः माह से अधिक हो चुका है। फलतः उक्त प्रावधानानुसार स्थानान्तरण अनुदान का दावा अनुमान्य नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि निदेशक, रिम्स कार्यालय द्वारा उक्त शीर्षो में भुगतान के प्रति घोर उदासीनता बरती जा रही है और एक वरिष्ठ एवं सम्मानित स्त्री रोग विशेषज्ञ को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेवानिवृत डा0 (श्रीमती) अनुभा विद्यार्थी को उपर्युक्त मदों में लंबित राशि एवं लंबित अवधि के लिए अनुमान्य ब्याज सहित भुगतान कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यो?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

357 (11)
22-12-2022

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/रिम्स (वि0स0)-05-08/2022.....357 (11) दिनांकः- 22-12-2022

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-2333 वि0स0 दिनांक-16.12.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.22

सरकार के अवर सचिव।

(52)

1965
22/12/2022

श्री रामदास सोरेन, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्रनि0–02 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री रामदास सोरेन, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक कार्यालय, घाटशिला के अधीन श्री लाल देव प्रसाद, चालक के पद पर कार्यरत है,	**अस्वीकारात्मक।** श्री लालदेव प्रसाद, श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक), घाटशिला के कार्यालय में दैनिक पारिश्रमिक पर आवश्यकतानुसार, वाहन चलाने के लिए कार्यरत थे।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित चालक को बिना कारण दर्शाये वर्षो से कार्य मुक्त रखा गया है जिसे उक्त चालक द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती देने पर उक्त न्यायालय ने उक्त चालक को कार्य पर रखने के संबंध में न्यायादेश पारित करने के बावजूद सरकार द्वारा उक्त चालक को कार्य पर अबतक नही रखा गया है, जिससे उक्त चालक के परिवार में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है,	यह मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसकी समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–WP(S)-4050/2022 में की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित चालक को उक्त न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में पुनः चालक पद पर रखने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

22/12/2022
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–87 / 2022श्र0नि0–1965 **राँची, दिनांक–**22/12/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2337, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/2022
सरकार के अवर सचिव।

D:\S\new folder(file)\R\Vidhan Sabha 2022-23\05-87-22 lc.docx

1964
22/12/2022

श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित संख्या –श्र0नि0–04 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि राँची जिला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामान्य एवं कल्याण की स्थापना एक विशेष उद्देश्य हेतु किया गया है एवं पूर्व से इसे अलग–अलग पद सृजित कर संचालित किया जा रहा था	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है, कि वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामान्य एवं कल्याण का संचालन एक ही भवन एवं कार्यशाला में संचालित किया जा रहा है जिससे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामान्य एवं कल्याण के सृजित पदों में कमी होने की संभावना बनी है,	स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामान्य एवं कल्याण को एकीकृत करने की उद्देश्य हेतु अलग–अलग भवन एवं कर्मशाला का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची जिला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सामान्य एवं कल्याण के एकीकरण पर विचार किया जा रहा है। एकीकरण की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या यथावत् रहेगी तथा वर्तमान भवन एवं कर्मशाला का संयुक्त रूप से उपयोग संभव हो सकेगा। कर्मियों की पदों की संख्या में कमी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

22/12/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–89/2022श्र0नि0– 1964 राँची, दिनांक– 22/12/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2338, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/2022

सरकार के अवर सचिव।

D:\S\new folder(file)\R\Vidhan Sabha 2022-23\05-89-22 T.docx

(54)

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स0– 03 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा यह अनु0 ज0 जा0 बाहुल्य जिला है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत मिहिजाम नगर पंचायत क्षेत्र में अस्पताल, बनकर तैयार है, परन्तु डॉक्टर एवं कर्मियों के अभाव में यह पूर्वरूपेण चालू नहीं हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के रोगियों को प्राइवेट अस्पताल एवं अन्य राज्यों में इलाज के लिए जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला अंतर्गत मिहिजाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुराने भवन में संचालित है। उक्त संचालित स्वास्थ्य केन्द्र, में 01 चिकित्सा पदाधिकारी, 01 लिपिक, 10 ए0एन0एम0, 01 फार्मासिस्ट, 01 प्रायोगशाला प्रावैधिक, 01 स्वास्थ्य प्रशिक्षक, 01 पुरूष कक्ष सेवक, 01 महिला कक्ष सेविका के द्वारा आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सिविल सर्जन, जामताड़ा के पत्रांक 2077 दिनांक 17.12.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहिजाम को पुराने भवन से स्थानांतरित करते हुए नये भवन में संचालित करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों की पदस्थापना कर इसे समग्र रूप से अविलंब प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका– 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–18/2022 1567 (3) राँची, दिनांक: 21/12/22

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2177/वि0स0 दिनांक 13.12.2022 के क्रम में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–18/2022 1567 (3) राँची, दिनांक: 21/12/22

प्रतिलिपि: अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22
सरकार के संयुक्त सचिव

डॉ0 सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.12.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	डॉ0 सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागांव, केरेडारी एवं कटकमदाग प्रखण्ड में भू–माफियाओं द्वारा गैरमजरूआ जमीन, जंगल–झाड़, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, मंडप, मजार की जमीन का फर्जी हुकुमनामा बनाकर अपने नाम से करा लिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पंकरी–बरवाडीह कोल परियोजना में 80 एकड़ जमीन के बदले आठ करोड़ रूपये अंचल कर्मियों के क्लियरेंस पर मुआवजा दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा गठित S.I.T. में वर्णित मामले में हुए 3,000 करोड़ की घोटाले की आशंका के कारण भू–राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने NTPC के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक तथा हजारीबाग उपायुक्त से दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित् कर कार्रवाई करने के अनुरोध किया गया था परन्तु आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गैरमजरूआ भूमि का अवैध तरीके से मुआवजा भुगतान के आरोप के संबंध में पूर्व में विशेष जाँच दल गठित किया गया था। विभागीय पत्रांक–18.11, दिनांक–10.04.2017, पत्रांक–2357, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–260, दिनांक–19.01.2018, दिनांक–2482, दिनांक–05.07.2019 एवं अर्द्ध–सरकारी पत्रांक–153, दिनांक–14.01.2020 तथा पत्रांक–2895, दिनांक–01.08.2019 के द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से उक्त मामले में किये गये कृत कार्रवाई/अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी है। विभागीय पत्रांक–1812, दिनांक–10.04.2017, पत्रांक–2358, दिनांक–15.05.2017, पत्रांक–5160, दिनांक–20.10.2017, पत्रांक–259, दिनांक–19.01.2018, पत्रांक–2470, दिनांक–05.07.2019 तथा अर्द्ध–सरकारी पत्र संख्या–2893, दिनांक–01.08.2019, पत्रांक–2894, दिनांक–01.08.2019 एवं पत्रांक–154, दिनांक–14.01.2020 के द्वारा महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक, केरेडारी कोयला खनन परियोजना, NTPC Ltd., हजारीबाग को विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर सम्यक् जाँचोपरांत कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित जिले से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :– 5/वि0स0 हजारीबाग (तारां०)–270/2022..4564.....(5)/रा0 राँची, दिनांक–22-12-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–2312/वि0स0, दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.12.2022
सरकार के अवर सचिव।

श्री किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित 1960
प्रश्न संख्या– श्रनि–01 का उत्तर सामग्री :– 22/12/2022

क्र0	प्रश्नकर्ता श्री किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता (मंत्री) माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड सिमरिया, ईटखोरी एवं हंटरगंज में आई0टी0आई0 कॉलेज का भवन काफी समय से बनकर तैयार है परन्तु अब तक पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है;	चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड सिमरिया में प्रशिक्षण चल रहा है, ईटखोरी में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने जा रहा है जबकि हंटरगंज में भवन निर्माण का कार्य आरंभ किये जाने हेतु राशि आवंटित कर दी गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में चतरा जिला के छात्र एवं छात्राओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हजारीबाग, राँची एवं गया (बिहार) पर आश्रित रहना पड़ता है जिसके कारण वहाँ के अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है;	चतरा जिला में दो सरकारी आई0टी0आई0 एवं एक निजी आई0टी0आई0 कार्यरत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित आई0टी0आई0 कॉलेजों में पठन–पाठन अविलम्ब शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	चतरा जिलान्तर्गत प्रखंड सिमरिया में वर्ष 2016 से एवं किशनपुर (चतरा) में वर्ष 2022 से आई0टी0आई0 संचालित है। आई0 टी0 आई0, ईटखोरी टी0 एस0 पी0 (Training Service Provider) के अन्तर्गत वर्ष 2022 में Acme Education Solution Pvt. Ltd. चतरा को दिनांक 21.03.2022 को एम0ओ0यू0 करते हुए हस्तान्तरित किया गया है एवं राज्य स्तर से सबंधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हंटरगंज में आई0टी0आई0 के निर्माण हेतु झारखण्ड राज्य भवन निगम लिमिटेड को राशि उपलब्ध करायी गयी है। जिला प्रशासन के द्वारा चयनित स्थल उपयुक्त नहीं रहने के कारण स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव दिये जाने का निदेश उपायुक्त, चतरा को दिया गया है।

22/12/2022
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–80 / 2022श्र0नि0– 1960 राँची, दिनांक– 22/12/2022
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–2216, दिनांक–13.12.2022
के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/12/2022
सरकार के अवर सचिव।

D:\S\new folder(file)\R\Vidhan Sabha 2022-23\05-80-2022 T.docx